T/S कृपया/बिहार/ E-mail कृपया/ प्रिंटि 7/12/17

बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

पत्रांक – वि0 प्रा0 (II) TEQIP-01/2015/ 2900 **/पटना, दिनांक–** 7.12.017

प्रेषक,

उप सचिव
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,
बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार (ले०एवं ह०), बिहार
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

विषय – विभागान्तर्गत सात अभियंत्रण महाविद्यालयों में विश्व बैंक संपोषित केन्द्र प्रायोजित योजना ''तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन कार्यान्वयन कार्यक्रम–तृतीय चरण (TEQIP, Phase -III)'' का कियान्वयन, पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण हेतु प्रति संस्थान रू0 10.00 करोड़ (दस करोड़ रूपये) मात्र अर्थात् कुल रू0 70.00 करोड़ (सत्तर करोड़ रूपये) मात्र की वित्तीय वर्ष 2017–18, 2018–19 एवं 2019–2020 में उक्त योजना के कार्यान्वयन हेतु प्रशासनिक स्वीकृति।

आदेश :– **स्वीकृत।**

राज्य के 07 राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों यथा–एम0 आई0टी0 मुजफ्फरपुर , बी0 सी0 ई0 भागलपुर, मोतिहारी कॉलेज ऑफ इंजिनियरिंग, मोतिहारी, दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजिनियरिंग, दरभंगा, गया कॉलेज ऑफ इंजिनियरिंग, गया, नालन्दा कॉलेज ऑफ इंजिनियरिंग, नालन्दा एवं एल0एन0जे0पी0आई0टी0, छपरा को शत–प्रतिशत विश्व बैंक संपोषित केन्द्र प्रायोजित योजना ''तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन कार्यान्वयन कार्यक्रम–तृतीय चरण (TEQIP, Phase -III)'' के कार्यान्वयन एवं प्रत्येक चयनित उक्त संस्थानों को केंद्र सरकार के द्वारा वित्तीय वर्ष 2017–18, 2018–19 एवं 2019–20 की अवधि मे 10.00 करोड़ रुपये अर्थात कुल रू0–70.00 करोड़ रुपये सीधे विमुक्त किये जाने की प्रशासनिक स्वीकृति निम्न शर्त्तों के अधीन प्रदान की जाती है:–

(i) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा–निदेश के अनुसार चयनित संस्थानों में निदेशक मंडल का गठन किया जाना,

(ii) निदेशक मण्डल को संस्थान की सभी गतिविधियों का अनुमोदन प्रदान किये जाने हेतु प्राधिकृत किया जाना,

(iii) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से स्वयतता प्राप्त किये जाने हेतु संस्थानों को अनुमति प्रदान किया जाना,

(iv) संस्थानों के निदेशक मण्डल को, संकायों की, संविदा के आधार पर नियमित नियुक्ति होने तक, भर्त्ती किये जाने हेतु प्राधिकृत किया जाना,

(v) चयनित संस्थानों को शैक्षणिक, प्रशासनिक तथा वित्तीय स्वायतता प्रदान किया जाना,

(vi) विभागीय स्तर पर स्टेट प्रोजेक्ट इम्पलीमेन्टेशन यूनिट, स्टेट स्टीयरिंग कमिटी का गठन किया जाना,

(vii) चयनित संस्थानों द्वारा अपने कुल राजस्व का 8 प्रतिशत राशि Sustainability fund (4 funds) में रखा जाना है ताकि परियोजना की कियाविधि भविष्य में भी जारी रखी जा सके।

(viii) स्टेट प्रोजेक्ट इम्पलीमेन्टेशन यूनिट एवं चयनित संस्थानों के बैंक खाता का अंकेक्षण नियमित रूप से मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार/राष्ट्रीय परियोजना कियान्वयन इकाई से प्राप्त निदेश के आलोक में किया जाना,

(ix) चयनित संस्थानों में पूर्णकालिक एवं स्थायी प्राचार्य की नियुक्ति किया जाना,

(x) राष्ट्रीय परियोजना कियान्वयन इकाई/मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्चत्तर शिक्षा विभाग, भारत सरकार/विश्व बैंक द्वारा निर्धारित दिशा–निदेश के आलोक में परियोजना के सभी कार्य निष्पादित किया जाना,

(xi) परियोजना के कियान्वयन हेतु उपर्युक्त वर्णित बिन्दुओं के आलोक में केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, आर्यभट्ट ज्ञान विश्व विद्यालय, पटना एवं चयनित संस्थानों के बीच अपेक्षित Memorandum of Understanding (MOU) हस्ताक्षरित किया जाना

2. उक्त चयनित संस्थानों द्वारा परियोजनान्तर्गत प्राप्त राशि का व्यय/अंकेक्षण केन्द्र सरकार, राष्ट्रीय परियोजना कियान्वयन एकक (एन0पी0आई0यू0), राज्य सरकार एवं राज्य परियोजना कियान्वयन ईकाइ (एस0पी0आई0यू0) द्वारा निर्गत परिपत्रों दिशा–निर्देशों के आधार पर सुनिश्चित किया जायेगा।

3. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, प्राचार्य, एम0 आई0टी0 मुजफ्फरपुर/बी0 सी0 ई0 भागलपुर/मोतिहारी कॉलेज ऑफ इंजिनियरिंग, मोतिहारी/दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजिनियरिंग, दरभंगा / गया कॉलेज ऑफ इंजिनियरिंग, गया/नालन्दा, कॉलेज ऑफ इंजिनियरिंग/नालन्दा एल0एन0जे0पी0, छपरा होंगे।

4. उक्त स्वीकृत राशि की निकासी, वित्तीय वर्ष वित्तीय वर्ष 2017–18, 2018–19 एवं 2019–20 में विभाग के लिए उक्त संसूचित योजना, सभी संबंधित संस्थानों को केन्द्र से निर्गत/ आवंटित राशि तक सीमित रहेगी।

5. वित्त विभाग के पत्रांक– 7355 वि(2), दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इस योजना के लिए प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

6. प्रस्ताव में लोक वित्त समिति एवं मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक–21.11.2017 के मद संख्या 06 द्वारा स्वीकृति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

6.12.17

उप सचिव

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

बिहार, पटना।

ज्ञापांक– **वि० प्रा० (II) TEQIP-01/2015/ 2900 /पटना, दिनांक–** 7.12.017

प्रतिलिपि– प्रधान महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6.12.17

उप सचिव

ज्ञापांक– **वि० प्रा० (II) TEQIP-01/2015/ 2900 /पटना, दिनांक–** 7.12.017

प्रतिलिपि–कोषागार पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/बी० सी० ई० भागलपुर/मोतिहारी कॉलेज ऑफ इंजिनियरिंग, मोतिहारी/दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजिनियरिंग, दरभंगा/गया कॉलेज ऑफ इंजिनियरिंग, गया/नालन्दा कॉलेज ऑफ इंजिनियरिंग, नालन्दा/एल०एन०जे०पी०, छपरा /सचिवालय कोषागार, निर्माण भवन, बेली रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6.12.17

उप सचिव

ज्ञापांक– **वि० प्रा० (II) TEQIP-01/2015/ 2900 /पटना, दिनांक–** 7.12.017

प्रतिलिपि–प्राचार्य, एम० आई०टी० मुजफ्फरपुर/बी० सी० ई० भागलपुर/मोतिहारी कॉलेज ऑफ इंजिनियरिंग, मोतिहारी/दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजिनियरिंग, दरभंगा/गया कॉलेज ऑफ इंजिनियरिंग, गया/नालन्दा कॉलेज ऑफ इंजिनियरिंग, नालन्दा /एल०एन०जे०पी०, छपरा /अवर सचिव, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6.12.17

उप सचिव

ज्ञापांक– **वि० प्रा० (II) TEQIP-01/2015/ 2900 /पटना, दिनांक–** 7.12.2017

प्रतिलिपि–निदेशक, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार –सह– राज्य परियोजना सलाहकार/नोडल पदाधिकारी, वित्तीय एवं शैक्षणिक State Project Implementation Unit (SPIU) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6.12.17

उप सचिव

ज्ञापांक– वि० प्रा० (।।) **TEQIP-01/2015/** /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि–संयुक्त निदेशक, (वि0)/उप निदेशक (यो.)/ बजट सहायक/लेखाशाखा (दो प्रतियों में), विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

उप सचिव

ज्ञापांक– वि० प्रा० (।।) **TEQIP-01/2015/**2900 /पटना, दिनांक– 7.12.2017

प्रतिलिपि–सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्चत्तर शिक्षा विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली–110115, सदस्य सचिव, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, नेल्सन मंडेला मार्ग, बसंत कुंज ,नई दिल्ली–110067/केन्द्रीय परियोजना सलाहकार, एन०पी०आई०यू०, एडसिल हाऊस, चतुर्थ तल, 18ए, नोयडा–201301 को आवश्यक सूचनार्थ एवं कार्यार्थ प्रेषित।

6.12.17

उप सचिव

प्रिति
06/12/17

Teqip-iii priti